

विषय : दस्तावेजों (प्रमाण-पत्रों) का सत्यापन और चिकित्सा जांच।

रोजगार सूचना सं. 220-ई/ओपन मार्केट/आर.आर.सी./2010 दिनांक 17.12.2010 के अंतर्गत दिनांक को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर आप अपने मूल ,दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के सत्यापन/जांच के लिए अंतिम तौर पर अर्हक घोषित हुए हैं। इस संबंध में निम्नानुसार रिपोर्ट करें :-

स्थान	दिनांक	उपस्थित होने का समय

1. निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा :-
- क. शैक्षणिक योग्यता और जन्म-तिथि के सत्यापन के लिए मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र। यह प्रमाण-पत्र किसी मान्यता प्राप्त/अनुमोदित सरकारी संस्थान द्वारा जारी किया होना चाहिए।
- ख. उपयुक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा संलग्न निर्धारित प्रारूप अनुसार जारी किया गया शारीरिक अशक्तता प्रमाण-पत्र।
- ग. निर्धारित प्रारूप अनुसार और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. प्रमाण-पत्र
- घ. ओ.बी.सी. के मामले में, जाति प्रमाण-पत्र हाल ही में जारी किया गया होना चाहिए (एक वर्ष से अधिक पहले का न हो) और उस पर नॉन-क्रीमी लेयर क्लाज होना चाहिए।
- ङ. उम्मीदवार को अपने आवेदन-प. पर चिपकाए गए फोटो के समान दो पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो लाने हैं।
- च. यदि आप इस समय किसी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं, तो अपने वर्तमान नियेक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) साथ लेकर आए।
- छ. कृपया अपने सपोर्टिंग दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों की फोटोस्टेट प्रतियां साथ लेकर आए।
- ज. ओरिजनल एडमिट कार्ड का आधा निचला भाग भी साथ लेकर आए।
2. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद चिकित्सा जांच (अगले दिन) की जाएगी, केवल उन्हीं उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच की जाएगी जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उपयुक्त पाए जाएंगे।
3. दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को बुलाए जाने से उन्हें यह अधिकार नहीं मिल जाता कि उनकी डाक्टरी जांच की जाएगी अथवा उत्तर रेलवे पर किसी पद पर नियुक्ति दी जाएगी।
4. यदि बाद में भी यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार जालसाजी से उपस्थित हुआ है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
5. उम्मीदवार अपने ठहरने आदि की व्यवस्था स्वयं करेंगे। आने-जाने के लिए कोई टी.ए./डी.ए. नहीं दिया जाएगा।
6. चिकित्सा जांच की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को होने वाली किसी हानि/क्षति के लिए रेलवे उत्तरदायी नहीं होगी।

टिप्पणी :

- ❖ दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय समस्त सावधानियां बरती गई हैं, किंतु अनजाने में मानवीय मूलें भी हो सकती हैं। यदि ऐसी कोई गलतियां जब कभी भी पाई जाती हैं, आर.सी./उ.रे. को उनके सुधार का अधिकार है।
- ❖ यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय न्यायालय के दिशानिर्देशों के अंतर्गत दी गई समय-सीमा के अनुपालन में यह परिणाम प्रकाशित किया जा रहा है। इन उम्मीदवारों की मेरिट पोजिशन के साथ-साथ वरीयता क्रम अंतिम रूप से पैनल जारी होने पर निर्धारित किया जाएगा।
- ❖ सभी मानक फॉर्म आर.आर.सी. की वेबसाइट www.rrcnr.org से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

No: 220-E/Open Mkt./RRC/2010/PET/9

Subject :- Verification of documents and Medical Examination.

On the basis of written examination held on _____ against Employment Notice No. 220-E/Open Mkt./RRC/2010 dated 17.12.2010, you have provisionally qualified for verification/checking of original documents/certificates. You may report as per following:-

Venue	Date	Reporting Time

1. The following documents/certificates will be verified:-
 - i. Matriculation certificate for educational qualification and verification of Date of Birth. This certificate must be issued by Recognised/Approved Govt. Institute.
 - ii. Physical Disability Certificate issued by the appropriate Medical Board on enclosed prescribed format.
 - iii. SC/ST/OBC Certificate, as per applicable in prescribed format and issued by appropriate authority.
 - iv. In case of OBC, Caste certificate should be current (not more than one year old) and should have clause of Non- creamy layer.
 - v. Candidate must bring two passport size colour photographs identical to the one pasted on application form.
 - vi. NOC from your present employer if you are presently working in any Govt/Non Govt office.
 - vii. Please bring Photostat copies of your supporting documents/certificates.
 - viii. Lower half portion of Original Admit Card may also be brought.
2. Document Verification will be followed by Medical Examination (following day) only of those Candidates as further found suitable by the Screening Committee.
3. Calling of candidates for document verification does not automatically confer any right upon candidate for his Medical Examination or appointment on any post of Northern Railway.
4. If it is subsequently found that any candidate has appeared through proxy, strict action as per law will be taken.
5. Candidates shall make their own arrangement of stay. No TA/DA is admissible for the same.
6. Railway shall not be responsible for any loss/damage caused to candidates during the process of Medical examination.

Note:

- ❖ *All necessary care has been taken while preparing the list for eligible candidates for document verification but inadvertent human errors cannot be overruled. RRC/Northern Railway reserves the right to correct such mistakes whenever it is noticed.*
- ❖ *It is clearly stated that this result is being published in order to adhere to the time schedule as per Hon'ble court's directions. Merit position as well as seniority of these candidates will be determined on the basis of position in the final panel as and when it is issued.*
- ❖ All standard forms can also be downloaded from RRC website www.rrcnr.org